पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

प्रवेश नियम
एवं
मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र : 2019–20

1. प्रवेश प्रक्रियाः

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2019–20 हेतु ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय–सारिणी अनुसार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः करवाना होगा। कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। इन विद्यार्थियों को अंतिम चरण में स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय–समूह (गणित / जीव विज्ञान / वाणिज्य / कला इत्यादि) का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इस प्रक्रिया की जानकारी हेतु www.ptsnsuniversity.ac.in पोर्टल उपलब्ध है। पंजीयन शुल्क का भुगतान समय–सारिणी अनुसार चरणवार एकमुश्त निम्नानुसार देय होगा–

1. प्रथम चरण में पंजीयन हेतु रू. 100/–
2. द्वितीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 250/– विलंब शुल्क सहित।
3. तृतीय चरण में पंजीयन हेतु 500/– विलंब शुल्क सहित।

विशेष–समस्त छात्राओं को प्रथम चरण में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक स्वयं विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश समिति के समक्ष अपने दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करेगें। निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात् कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। द्वितीय एवं आगामी चरणों में पंजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जावेगा।

पंजीयन के पश्चात् आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे नाम, माता–पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं / 12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पैलिंग पूर्णतया सही है। सत्यापन के पश्चात् किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय में इसके लिए सहायता केन्द्रों की भी व्यवस्था की गई है।

आवेदक अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे जिसे पंजीयन के समय आवेदक को अपने समस्त दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा पात्र आवेदकों को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

2. पंजीयन शुल्क का भुगतान :

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन डिजीटल माध्यम से किया जा सकेगा।

2.1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :

2.1.1. स्नातक स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के समय आवेदक को अपने दस्तावेजों (अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, स्थानीय निवासी हेतु स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र, एन.एस. एस./एन.सी.सी./क्रीड़ा/साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण–पत्र इत्यादि) जिनके आधार पर प्रवेश के लिए अधिभार देय हो, को स्कैन कराकर अपलोड करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवेदक विश्वविद्यालय में संबंधित प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर करायें। (आवेदक समस्त मूल दस्तावेजों एवं उनकी एक–एक छायाप्रति, पंजीयन पत्र की प्रति एवं फोटो साथ लेकर आयें) यदि आवेदक द्वारा प्रवेश की न्यूनतम अर्हता पूर्ण होगी तो आवेदक के पास प्रवेश Form Accepted का मैसेस उसके द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जायेगा। Form Accepted के एस.एम.एस. के पश्चात् प्रवेश सूची में नाम आने पर छात्र निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करेगा। शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदक को शुल्क रसीद प्रवेश समिति के पास जमा करना होगा तभी उसका प्रवेश पूर्ण माना जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रमानुसर विश्वविद्यालय में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जावेगा।

2.1.2. स्नातकोत्तर स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को कंडिका 2.1.1 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए सत्यापन करवाना होगा। अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापन–पत्र की प्रति प्राप्त करनी होगी। सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय–सारिणी अनुसार प्रवेश समितियों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा।

2.1.3. विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिनके दस्तावेजों का सत्यापन, पंजीयन पश्चात् निर्धारित अंतिम तिथि तक हो चुका होगा।

2.2 इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के संबंध में:

दस्तावेजों के सत्यापन के समय इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अंकसूची मान्य होगी, परन्तु प्रवेश के समय मूल अंकसूची ही मान्य होगी। मूल अंकसूची / मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपत्र में वचन–पत्र प्राप्त कर निर्दिष्ट समयावधि में अंकसूची की प्रतिलिपि तथा मूल टी.सी. जमा करवायी जायेगी। इसकी जानकारी यथास्थान ऑनलाइन प्रवेश मॉड्यूल में दर्ज की जावेगी जिससे प्रवेश मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। वचन–पत्र में घोषित तिथि तक यदि आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किये जाते तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

2.3 ऑनलाइन गुणानुक्रम अनुसार आवंटन सूची का विश्वविद्यालय प्रकाशन :

2.3.1. प्रथम चरण में सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय / विषय विश्वविद्यालय के विकल्प के आधार पर गुणानुक्रम सूची ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर जारी की जावेगी। इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाइल पर मैसेज के द्वारा दी जायेगी। साथ ही आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं चेक करे। तत्पश्चात् प्रथम चरण हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदक विश्वविद्यालय में समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ एवं मूल टी.सी. प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालय आवेदक की पात्रता आदि का सत्यापन करने के पश्चात् पोर्टल पर आवेदक से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज जमा करने संबंधी जानकारी प्रवेश मॉड्यूल में निर्धारित तिथि में करेंगे। तत्पश्चात् ही आवेदक को ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु लिंक इनीशियेट होगी। यह लिंक समय–सारिणी अनुसार निर्धारित तिथि तक ही एक्टिव रहेगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम विश्वविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा।

2.3.2 विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन एडमीशन स्लिप का प्रिंट आउट आवेदक को अनिवार्यतः दिया जाना होगा। आवेदक स्वयं भी अपनी एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट पोर्टल से प्राप्त कर सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है।

2.4 विश्वविद्यालय में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः वरीयताएँ :

प्रथम चरण के पश्चात् विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिये पुनः ऑनलाइन विषय / पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहें तो अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे।

2.5 तृतीय चरण हेतु प्रवेशः

2.5.1 द्वितीय चरण के पश्चात् पाठ्यक्रमवार / वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। द्वितीय चरण के पश्चात् पाठ्यक्रमों में रिक्त रह गये स्थानों पर स्पॉट एडमीशन (अंतिम चरण) हेतु अप्रवेशित आवेदक अपनी पूर्व वरीयताओं में समय–सारिणी अनुसार निर्धारित तिथियों में संशोधन / परिवर्तन कर सकेगा।

2.5.2 स्पॉट एडमीशन हेतु अप्रवेशित आवेदकों को समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में रिक्त स्थानों की उपलब्धता होने पर विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम / विषय समूह का विकल्प देना होगा।

इस चरण में रिक्त आरक्षित सीटों पर संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगी।

अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों को रिक्त सीटों पर सामान्य पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही प्रावधिक प्रवेश हेतु इस चरण में विचार किया जावेगा।

2.5.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्थान रिक्त होने पर अंतिम चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्राविधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्राविधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर अपने परिणाम के आधार पर उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण अद्यतन कराना होगा जिससे उनका प्रवेश स्वमेव नियमित / निरस्त हो जाएगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए कंडिका 2.7 (क) के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी, लेकिन विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिये आवेदक को स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण विषयों में से किसी एक में ही प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

2.5.4 कंडिका 3.1 (क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक पाल्य का निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियानुसार अन्य महाविद्यालय में प्रवेशित होना अनिवार्य है। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से ही सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा।

2.6 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतु पात्रताः

2.6.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी–

1. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय एवं कला संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।
2. वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
3. वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।
4. कला संकाय के विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। इन आवेदकों को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसे प्रवेश के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। संकाय परिवर्तन होने पर प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक कम कर तदनुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में जीव–विज्ञान समूह में अथवा कला संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ग) स्ववित्तीय पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय में संचालित एकवर्षीय डिप्लोमा कोर्सेस में विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।

2.6.2 अन्य सेमेस्टरों / वार्षिक पद्धति में प्रवेशः

(क) पात्र विद्यार्थियों को स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जायेगा। शेष सेमेस्टरों में पिछले सेमेस्टरों में उत्तीर्ण / किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक–समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed to Keep Terms) प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। नियमानुसार शुल्क का भुगतान करने पर ही ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश मान्य किये जायेंगे।

(ख) कंडिका 3.1 (क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में सेमेस्टर / वार्षिक पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत् उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक–स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र तथा आव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर–स्तर पर प्रवेश के लिये संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदक को प्रवेश के समय संलग्न करना अनिवार्य है।

(ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97 / 380 / सीसी / 14 / 38, दि. 16.02.2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं वह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय में संबंधित कोर्स / विषय में सीट रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में प्रावधिक नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

2.7 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश : आवेदकों की प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार सुनिश्चित की जाएगी।

(क) कक्षा अर्हकारी परीक्षा

एम. कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी. कॉम.
एम.एस–सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस–सी. संबधित विषय के साथ
एम.ए. / एम.एस.डब्ल्यू	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण

(ख) किसी भी संकाय से उत्तीर्ण स्नातक को एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी को एम.ए. या एम.एस–सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता वि.वि. द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

(घ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। पिछले सेमेस्टरों में उत्तीर्ण अथवा किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक–समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य सेमेस्टरों में नियमानुसार शुल्क भुगतान करने पर स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

(ङ) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत प्रवेश–मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342/सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017–18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है, इसका क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों का नियमानुसार शिक्षण शुल्क राज्य शासन वहन करता है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पात्र आवेदकों को 1 (एक) रू. का टोकन प्रवेश शुल्क देय होगा इससे अतिरिक्त प्रवेश हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा–निर्देश / पात्रता संबंधी समय–समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।

(च) मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म.प्र. तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्र. एफ–14–2 / 2008 / 42–2, दिनांक 21.08.2018 के तहत प्रवेश दिया जाएगा। इस हेतु समय–समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

3. प्रवेश की पात्रताः

3.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षाः

(क) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी संपत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों / महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही विश्वविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य / पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे।

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो।
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।

(घ) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रवेश में (12 B of UGC Act के तहत मान्य) दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है।

4. समकक्ष परीक्षा :

4.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

4.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षायें राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।

4.3 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता–विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होगी।

4.4 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

5. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

5.1 स्नातक स्तर तक बी.ए. / बी.काम. / बी.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किंतु विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय–समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम /द्वितीय वर्ष परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय–समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा। शपथ–पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकीरी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी की प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।

5.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व संबंधित राज्यों एवं स्थानीय थानों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।

5.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

5.6 प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

5.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.8 अन्य राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

5.9 ऐसे अध्ययनरत् विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें अपने छात्रावास कक्ष में किसी अन्य को ठहराना प्रतिबंधित रहेगा।

5.10 अन्य राज्यों के छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण–पत्र, विश्वविद्यालय से पात्रता सबंधी प्रमाण–पत्र इत्यादि की मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा। मूल प्रमाण–पत्रों के अभाव में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। विद्यार्थी के मूल दस्तावेज छः महीने तक विश्वविद्यालय के पास रहेंगे, तत्पश्चात् उसे

आवेदक को वापस कर दिये जायेंगे। प्रवेश समितियाँ इस तरह संधारित मूल दस्तावेजों का लेखा रखेंगे तथा विद्यार्थियों को मूल दस्तावेज जमा कराने, संबंधी पावती भी प्रदान करेंगे।

6. प्रावधिक प्रवेश की पात्रताः

6.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

6.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम सेमेस्टर / वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक कुल अंकों के प्राप्तांक का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा वार्षिक पद्धति से उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश की पात्रता होगी, जिसके आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा। प्रावधिक प्रवेश के समय आवेदक को किसी भी सेमेस्टर / वर्ष में पूरक/एटीकेटी नहीं होनी चाहिए।

6.1.2 उपरोक्त प्रवेशार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर विद्यार्थी अपने दायित्व पर एक वचन–पत्र के साथ प्रवेश लेंगे जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगर षष्ठ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में गुणानुक्रम परिवर्तन अथवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है/वार्षिक परीक्षा पद्धति में तृतीय वर्ष अनुत्तीर्ण घोषित हो जाता है जिसके कारण प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित होते हैं तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी।

6.2 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पूरक नियमों की पात्रता अनुसार स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष मे प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

6.2.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 1615/1929/2018/38–1 दि. 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं वह सत्र 2019–20 में वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष तथा ऐसे विद्यार्थी जो सत्र 2018–19 स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, वे सत्र 2019–20 में स्नातक स्तर की तृतीय वर्ष की नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

6.3 स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. के नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

6.4.1. स्नातक कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी./पूरक नियमः

1. सेमेस्टर वर्ष के अंत में संबंधित सेमेस्टर/वर्ष की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हों) विषयों में एटीकेटी/पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।

2. दो विषयों के प्रश्न–पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा। वार्षिक पद्धति में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जाएगा।

3. विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

4. स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सी.सी./17/38 दिनांक 09.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

5. **विशेष परीक्षार्थी** : राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतियोगिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थित विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित सेमेस्टर/पूरक परीक्षाओं में (संबंधित सम/विषम /सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षाओं के साथ) ए.टी.के.टी./पूरक प्राप्त नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

6.4.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी नियमः

1. सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हों) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।

2. दो प्रश्नपत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

3. विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

4. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सी.सी./17/38, दिनांक 09.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

6.5 जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

7. प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रताः

7.1 जिन आवेदकों के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुव्यर्वहार / मारपीट करने के गंभीर प्रमाणित आरोप हों या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हों तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए प्रवेश समिति कदापि अधिकृत नहीं है।

7.2 विश्वविद्यालय में तोड़–फोड़ करने या विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी कुलसचिव प्रवेश देने के लिए अधिकृत नहीं है। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञाप क्र. एफ–1–16/2007 (सी.पी.पी. ।।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा–1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू होगी।

7.3 आयु संबंधी पात्रताः

(क) वर्ष 2017–18 के बिन्दु क्रमांक 9.3 क, ख, ग, घ, ड., च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018–19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है, अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिये आयु सीमा का कोई बंधन नही होगा।

(ख) पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि या शाम को लगने वाले पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही है। लेकिन दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले पाठ्यक्रमों में आवेदन करने पर आवेदक द्वारा आवेदन करने पर नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा। किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही है।

(ग) ट्रांस जेंडर को विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होगी।

8. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारणः

8.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।

8.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

8.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला–स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंकसूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा। सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो सकेगा।

9. प्रवेश हेतु प्राथमिकताः

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में विश्वविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

10. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

10.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में अपरिवर्तनीय होंगे।

10.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

10.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र / पुत्रियों एवं पौत्र / पौत्रियों / नातियों / नातिनों, भारतीय सेना में कर्त्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थायी रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों के आश्रितों / सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबद्ध निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जायेगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों / अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगाः

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।

5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/ वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।

6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।

7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

10.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। निः शक्तजनों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंको में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

10.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

10.6 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए अरक्षित होगें।

10.7 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

10.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

10.9 अंतिम चरण में पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (समान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेगें।

10.10 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

10.11 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

11. अधिभार :

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी

आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन–पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। सत्यापन के बाद प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

11.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स):

(क) एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
(ख) एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
(ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय उत्तीर्ण स्काउट	4 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट	5 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ) मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
(र) भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्वेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले	15 प्रतिशत
(ल) एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
(व) भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत
(श) जूडो/ कराटे :	
यलो बेल्ट (Yellow Belt)	2 प्रतिशत
ब्राउन बेल्ट (Browm Belt)	3 प्रतिशत
ब्लेक बेल्ट (Black Belt)	4 प्रतिशत

11.2 आनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर– 10 प्रतिशत

11.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं–

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला / संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में–

   (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को– 2 प्रतिशत

   (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को– 4 प्रतिशत

2. उपर्युक्त कंडिका 11.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग / राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय / राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय (Inter Zonal) प्रतियोगिता एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय / अंतर्संभाग अंतर्जिला में :

   (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी / टीम के – प्रत्येक सदस्य को 7 प्रतिशत

   (ख) जिले के दल से संभाग का प्रतिनिधित्व करने – वाले प्रतियोगी को 5 प्रतिशत

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन / एस. जी.एफ.आई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में :

   (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 15 प्रतिशत

   (ख) प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को– 10 प्रतिशत

11.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स तथा कल्वर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को– 10 प्रतिशत

11.5 भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा दो वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में :

(क) मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को– 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ी / दल के सदस्यों को : 15 प्रतिशत

(अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित किये जाने वाली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से है, जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।)

11.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को– 1 प्रतिशत

11.7 विशेष प्रोत्साहन : एन.सी.सी. के राष्ट्रीय के सर्वश्रेष्ठ केडेटस तथा ओलम्पिक/ एशियाड/ कॉमनवेल्थ गेम्स / वर्ल्ड कप/ वर्ल्ड चैम्पियनशिप / एशियन चैम्पियनशिप / कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप / साउथ एशियन गेम्स एवं साउथ एशियन चैम्पियनशिप तथा एसोसियेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी (ए.आई.यू.) की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अथवा भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये जिनके वे पात्र हैं।

बशर्ते कि–

1. खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का स्पोर्ट्स ऑफीसर अग्रणी महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का केन्द्रीय विद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफीसर, एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणन किया गया हो, और
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने पंजीयन के अंतर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा।

11.8 स्नातक वर्ष में प्रवेश के लिये स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र ही अधिभार के लिये मान्य किये जायेंगे।

11.9 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनमें राज्य सरकार सह–प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 11.3 के अनुरूप होगी।

12. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अर्ह परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटें हुए प्राप्तांको पर ही देय होगा।

13. विशेष :

13.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

13.2 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्रवेश समितियाँ पृथक सूची तैयार करेंगी और नामांकन के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।

13.3 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के, लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव को होगा।

13.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.1 एवं 9.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार कुलसचिव का होगा।

13.5 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय छोड़ने या उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसके निष्कासन की दशा में विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

13.6 (अ) प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्क्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को रू. 100/– प्रक्रिया शुल्क काटकर जमा की गई शेष राशि वापस की जाएगी। लेकिन उपर्युक्त स्थिति में स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई और राशि वापस नहीं की जायेगी।

रिमार्क: यू.जी.सी. द्वारा वैधानिक प्रोफेशनल कॉउसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्क्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

15.6 (ब) प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर उसके प्रवेश के नियमित न हो पाने की स्थिति में उसे रूपये 100/– प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी।

15.7 नियमित प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह की समयावधि में पात्रता अनुसार विषय / पाठ्यक्रम / संकाय / मुख्यमंत्री मेधावी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना में अन्तर परिवर्तन (शर्त – यदि MMVY एवं MMVJY पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है) प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पात्रता एवं गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही विषय / पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तित किये जा सकेंगे। इस संबंध में विधिवत् सूचना प्रसारित कर प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही करेंगे।